राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–4/2010 जयपुर, दिनांक 5 SEP 2011

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यो/कार्य प्रारम्भ नही करने के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय विधायकों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रारम्भ नहीं होने तथा अपूर्ण रहने के संबन्ध में अधिकांश जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कार्य अपूर्ण रहने अथवा स्वीकृत कार्यों के प्रारम्भ नही होने का कारण नरेगा श्रमिकों के समय पर उपलब्ध नही होना है।

राज्य सरकार द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है तथा यह निर्देश दिये जाते है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वीकृत कार्यों के प्रारम्भ नही होने की स्थिति में संबन्धित विभाग के अधिकारी जिला परिषद/पंचायत समिति की बैठकों में उपरोक्त जानकारी जनप्रतिनिधियों को प्रदान करें तथा नरेगा श्रमिक नहीं मिलने इत्यादि कारणों पर चर्चा हेतु जिला परिषद/पंचायत समिति के कोरम का उपयोग किया जावें ताकि कार्य प्रारम्भ होने में सहायता मिल सके।

अतः इस संबन्ध में निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अन्य कार्यकारी विभागों के अधिकारियों को इस बाबत निर्देशित किया जावें कि वें जिला परिषद/पंचायत समिति की बैठक में सम्मिलित हो तथा कार्य प्रारम्भ नही होने/अपूर्ण रहने के संबन्ध में बैठक में अवगत करावें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस